फैक्स
संख्या–2194/8–4–11–305एन/2011

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4 **लखनऊ : दिनांकः 23 दिसम्बर, 2011**

विषयः **नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–523/नजूल–एस0एन0सी0–XX1–8/खण्ड–7, दिनांक 15.11.2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निम्न दो बिन्दुओं पर मार्गदर्शन मांगा गया है :–

(1) ऐसे विक्रय पत्रों, जो पट्टे की शर्तों के विपरीत बिना अनुमति प्राप्त किये निष्पादित किये गये हैं और इन विक्रय पत्रों के आधार पर पूर्व में समय–समय पर प्रस्तुत किये गये फ्री होल्ड आवेदन पत्रों का निस्तारण शासनादेश दिनांक 28.09.2011 के प्रस्तर–4 के अनुसार किया जायेगा अथवा नहीं ?

(2) पूर्व में पट्टेदार अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा रू0100/– अथवा उससे कम के स्टाम्प पर अन्य व्यक्ति के पक्ष में फ्री होल्ड करने की सहमति प्रदान की गयी है अथवा उन्हें फ्री होल्ड हेतु नामित किया गया है, ऐसे लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण किस प्रकार किया जाय ?

2– उपरोक्त दोनों बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में वर्तमान नीति विषयक शासनादेश दिनांक 28.09.2011 के अनुसार नीतिगत व्यवस्था निम्नवत् है :–

(1) शासनादेश दिनांक 28.09.2011 के प्रस्तर–4 की व्यवस्था के

—2—

अनुसार लम्बित आवेदन पत्रों में (नीचे दिये गये उप प्रस्तर(2) के प्रकरणों को छोड़कर) आवेदन की तिथि को प्रभावी नजूल नीति और प्रभावी सर्किल रेट की दर पर फ्री होल्ड की कार्यवाही की जानी चाहिए ।

(2) रिट याचिका (जनहित) संख्या–35248/2010 जय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.07.2010 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा नामित व्यक्ति के पक्ष में फ्री होल्ड की नीति के विषय में की गयी टिप्पणी के दृष्टिगत विधिक बाधा होने के कारण (जैसा कि शासनादेश दिनांक 28.09.2011 के प्रस्तर–5 में उल्लिखित है) नामित व्यक्तियों के पक्ष में फ्री होल्ड हेतु लम्बित आवेदन पत्रों पर शासनादेश दिनांक 28.09.2011 के प्रस्तर–4 के अन्तर्गत विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा ।

3– इस संबधं में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त मार्गदर्शन के अनुसार लम्बित फ्री होल्ड आवेदन पत्रों का निस्तारण निर्धारित अवधि में सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

/

(आलोक कुमार)
सचिव।

<u>संख्या–2194(1)/8–4–11तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
2– उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव।